

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला – हरदा

(दूरभाष नं. 07577-225022 & E-Mail : deoharda01@gmail.com)

क्रमांक / 236/ सा0नि0 / 2018

हरदा दिनांक 18/ 9 / 2018

## :: सीमित निविदा आमंत्रण पत्र ::

1 आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु तालिका में दर्शित सामग्रियों का क्रय किया जाना है। इस हेतु निविदाएँ सीलबंद लिफाफे में दिनांक 29 / 09 / 2018 समय 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उक्त निविदाएँ दिनांक 29 / 09 / 2018 को 4:30 बजे कलेक्टर कार्यालय हरदा में उपस्थित निविदाकारों एवं गठित समिति सदस्यों के समक्ष खोली जावेगी।

क्र.	सामग्री का नाम	प्रति नग/यूनिट दरें
1	माचिस	दर प्रति नग
2	ब्लेड	दर प्रति नग
3	धातु की पट्टी 12 इंच(लोहे की स्केल साईज)	दर प्रति नग
4	तेल पोछने के लिये सूती कपड़ा	दर प्रति मीटर
5	पेकिंग पेपर खाकी 1x1मीटर	दर प्रति नग
6	अमिट स्याही की बोतल रखने के लिये कप या खाली डिब्बा (प्लास्टिक)	दर प्रति नग
7	ड्राइंग पिन	दर प्रति नग
8	कपड़े की थैली या 50 कि.ग्रा.अनाज की थैली	दर प्रति नग
9	प्लास्टिक का डिब्बा साईज 14इंच X10इंच X5इंच	दर प्रति नग
10	पीजन होल्स कम्पार्टमेंट पारदर्शी का साईज 6 इंच X4 इंच X 4 इंच	दर प्रति नग

2 इच्छुक निविदाकार 100.00 (एक सौ रूपये मात्र) का निविदा शुल्क कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला हरदा कक्ष क्र. 15 में जमा कर अवकाश के दिनांक को छोड़कर कार्यालयीन समय में दिनांक 29 / 09 / 2018 को साय: 5:00 बजे तक निविदा प्रारूप व शर्तें तथा क्रय सामग्री की सूची प्राप्त कर सकते हैं, अथवा एक सौ रूपये का डीडी कलेक्टर जिला हरदा के पक्ष में जमा कर जिले की बेवसाईट [harda.nic.in](http://harda.nic.in) एवं [harda.mp.gov.in](http://harda.mp.gov.in) से डाउनलोड कर प्रस्तुत की जा सकती है।

3 निविदा के साथ 1000.00 (एक हजार मात्र) की धरोहर राशि किसी राष्ट्रीयकृत अथवा वाणिज्यिक बैंक की डिमांड ड्राफ्ट के रूप में कलेक्टर हरदा के नाम संलग्न करना होगा। निविदा अस्वीकृत होने पर धरोहर राशि निविदाकार को वापिस की जावेगी।

4 निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर जिला हरदा का होगा। एवं इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार की आवश्यकता नहीं होगी।

5 निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को कार्यालयीन आदेश अनुसार सामग्री तीन दिवस में कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। सामग्री समय पर प्राप्त न होने पर अन्य संस्था से क्रय कर ली जावेगी; तथा इसमें जो अधिक राशि का व्यय होगा, वह निविदाकार को वहन करना होगा।

6 किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरदा का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

अपर कलेक्टर  
हेतु कलेक्टर  
जिला हरदा

पृ०क्रमांक 2362/सा.नि/2018  
प्रतिलिपि:-

हरदा,दिनांक: 18/09/2018

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म०प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर संचालक (विज्ञापन शाखा) जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा रोड भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त निविदा समाचार पत्रों में प्रकाशित कर पेपर कटिंग इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.....म०प्र० की ओर कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु ।
6. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार सर्व अपने कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करें।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर उक्त निविदा सूचना पत्र एवं प्रपत्र जिला हरदा की वेबसाईट [www.harda.nic.in](http://www.harda.nic.in) अपलोड कर अवगत कराने का कष्ट करें।
8. प्रबंधक ई-गवर्नेंस जिला हरदा की ओर उक्त निविदा सूचना को वेबसाईट ([harda.nip.gov.in](http://harda.nip.gov.in)) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

अपर कलेक्टर  
हरदा कलेक्टर  
जिला हरदा